प्रेस विज्ञप्ति
24/08/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत एम/एस सयोन कलर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में **9.19 करोड़ रुपये** मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने यह जांच सीबीआई, बैंकिंग सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच (बीएस एंड एफबी), मुंबई द्वारा एम/एस सयोन कलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एम/एस एससीपीएल), इसके निदेशक परेश डी. पटेल, एम/एस शैमरॉक केमी प्राइवेट लिमिटेड एवं इसके निदेशकों तथा अन्य के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की थी। इन पर बैंकों को 71.88 करोड़ रुपये की धोखाधड़ीपूर्ण हानि पहुंचाने तथा फर्जी समझौतों के माध्यम से इन धनराशियों को अपनी सहयोगी संस्थाओं में डायवर्ट करने एवं बैंकों से उच्च ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए सर्कुलर लेन-देन का उपयोग करने का आरोप है।

जांच में सामने आया है कि एम/एस एससीपीएल ने ऋण की धनराशि को अपने प्रमोटरों एवं समूह की संस्थाओं के नाम पर संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए डायवर्ट किया तथा ऋण की धनराशि को सीधे अथवा लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग करके समूह की कंपनियों को हस्तांतरित किया। कंपनियों ने फर्जी समझौते किए और ऋण की धनराशि को डायवर्ट करने के लिए इन समझौतों के आधार पर धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन किए। इसके अतिरिक्त, एम/एस सयोन कलर्स प्राइवेट लिमिटेड और एम/एस शैमरॉक केमी प्राइवेट लिमिटेड ने आपस में तथा समूह की कंपनियों के बीच धनराशि को सर्कुलर रूप से रूट किया, जिससे बैंकों को ऋण सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।

कुर्क की गई संपत्तियों में चार कृषि भूमियां शामिल हैं, जिन्हें ऋण की धनराशि के डायवर्जन से सीधे अर्जित किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनंतिम कुर्की आदेश में टर्म डिपॉजिट, दो औद्योगिक भूमि, एक आवासीय फ्लैट तथा दो डीमैट खातों में रखे इक्विटी शेयर भी शामिल हैं।

यह इस मामले में जारी किया गया दूसरा कुर्की आदेश है तथा अब तक की कुल कुर्की का मूल्य 9.62 करोड़ रुपये है।

मामले में आगे की जांच जारी है।